जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/12 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 13 जून 2022

पंजाब से आए विवादित ग्रुप "उड़ता पंजाब" की राजस्थान मे धमक!!!

स्टिंग पार्ट:-3

रात 8 बजे बाद इस ग्रुप की शहर भर मे फैली दुकानों के जरिये ओवररेट पर बेची जा रही शराब!!!

ग्रुप की हकीकत जानने के बावजूद आबकारी विभाग खामोश!!!

फ़र्स्ट इंडिया के तीसरे स्टिंग ऑपरेशन ने खोली पंजाब के विवादित ग्रुप की असलियत!!!

अभी तक के दो स्टिंग ओपरेशनों पर विभाग ने झाड़ा पल्ला!!!

विभाग के अनुसार शहर मे कहीं नहीं बिक रही रात 8 बजे बाद शराब!!!

आखिर आबकारी विभाग क्यूँ नहीं कर रहा चैनल के पास मौजूद सबूतो की पड़ताल?

कौन चला रहा है पंजाब से आए इस ग्रुप को?किसका लगा है पैसा?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

First India

www.firstindia.co.in I https://firstindia.co.in/epapers/jaipur I twitter.com/thefirstindia I facebook.com/thefirstindia I instagram.com/thefirstindia

Group from Punjab is trying to develop wine culture in Jpr

In 3 back-to-back sting operations, excise rules were being violated in the city

Nirmal Tiwari

Jaipur: A liquor group from Punjab has tried to disturb the culture of capital, a tradition that is contrary to religious & social values, as well as venomous for younger generation. Liquor is being sold openly by this group here after 8:00 pm, due to which liquor culture is growing rapidly in capital.

In sting operation conducted on May 23 and 27, First India News had exposed the dark truth of liquor traders flouting rules, but department was seen avoiding action against guilty licensees and excise inspectors. Now once again our team conducted third sting operation on June 9 and 10, which also exposes a similar site.

A total of 404 shops are approved by Excise Department in Jaipur. Country and English liquor and beer are sold under composite arrangement at these liquor shops. According to rules of Excise Department, liquor shops can be opened only from 10 am to 8 pm. Question arises whether the liquor merchants are following excise rules and regulations and whether department is ensuring its compliance? The revelations were shocking!

People outside a wine shop. —FILE PHOTO

> In the third sting operation, it was found that Excise Department was seen avoiding action against guilty licensees and excise inspectors

LIQUOR SHOPS OPENED HERE POST 8 PM & MRP HIGHER THAN FIXED RATE

On June 9 & June 10, a licensee Vinod Kumar Sethi at Thadi Market Agarwal Farm in Sanganer Circle sold liquor openly. At 8.55 pm, team bought bottle of Tuborg Classic beer at Rs 190, although it had MRP of Rs 165. Rules for rate & fixed timings were broken. Video of beer being sold from liquor shop after 8 pm & online payment receipt are available as evidence. Similar was case at Deepak Sharma's shop at Riddhi Siddhi, Gurpreet Singh's shop at DCM, & Sagar's shop at Bajri Mandi Road of Jaipur West Circle, shops opened between 8-11 pm.

EXCISE MINISTER PARSADI LAL MEENA MUST TAKE COGNISANCE

A liquor group from Punjab has started campaign of developing wine culture. It is tainting image of Pink City. Despite being in knowledge of Excise Inspectors, salesmen at all these shops were selling liquor fearlessly from 8:00 pm till late at night & charging arbitrary rates from customers. Now it remains to be seen how soon Excise Min Parsadi Lal Meena & Excise Commissioner Prakash Rajpurohit take strict action against the culprit officers.

दिनांक 12/06/2022 को फ़र्स्ट इंडिया न्यूज पेपर मे प्रकाशित खबर से साभार

पंजाब से आए विवादित ग्रुप "उड़ता पंजाब" की राजस्थान मे धमक!!!

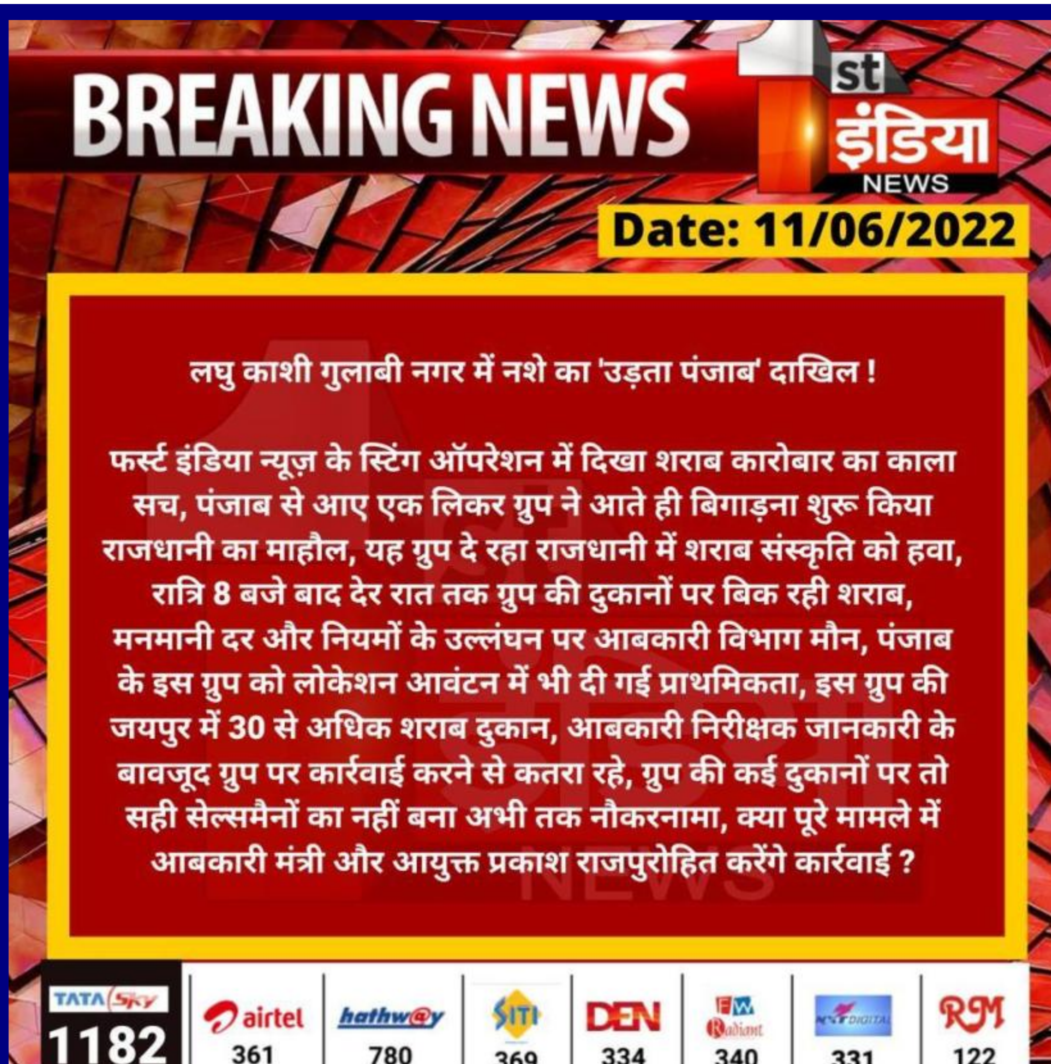

'उड़ता पंजाब' अब राजधानी जयपुर में भी दाखिल हो चुका है। जी हां... यह हम कोई जुमला नहीं कह रहे ,बल्कि कढ़वी हकीकत बयान कर रहे है,जिसने ना केवल आबकारी नियमों को ताक पर रख दिया है बल्कि कानून व्यवस्था और इंटीलिजेंस का भी मज़ाक बना रखा है||इस ग्रुप के गुंडेनुमा तथाकथित सेल्समेन पूरे जयपुर शहर मे फैली 30 से अधिक दुकानों के जरिये खुलेआम रात के 8 बजे बाद मनमानी दर पर शराब बेचते नजर आ रहे है|और आबकारी विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है|

पिछले दिनों 23 व 27 मई को किए स्टिंग ऑपरेशन में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने नियमों की धज्जियां उड़ाते कई शराब कारोबारियों के काले सच को उजागर किया था लेकिन स्टिंग के बावजूद आबकारी विभाग; दोषी लाइसेंसियो और जिम्मेदार आबकारी निरीक्षकों पर कार्रवाई से बचता दिखा| अब एक बार फिर फ़र्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने 9 व 10 जून को तीसरा स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें राज्य के बाहर से आए इस ग्रुप द्वारा गुलाबी नगर की आबोहवा में 24 घंटे शराब का जहर खोलने का काला सच उजागर किया|

फ़र्स्ट इंडिया के दो स्टिंग ओपरेशनों के बाद भी नहीं सुधरे हालात!!!स्टिंग के बावजूद, रात 8 बजे बाद ओवररेट पर बिक रही शराब!!!!

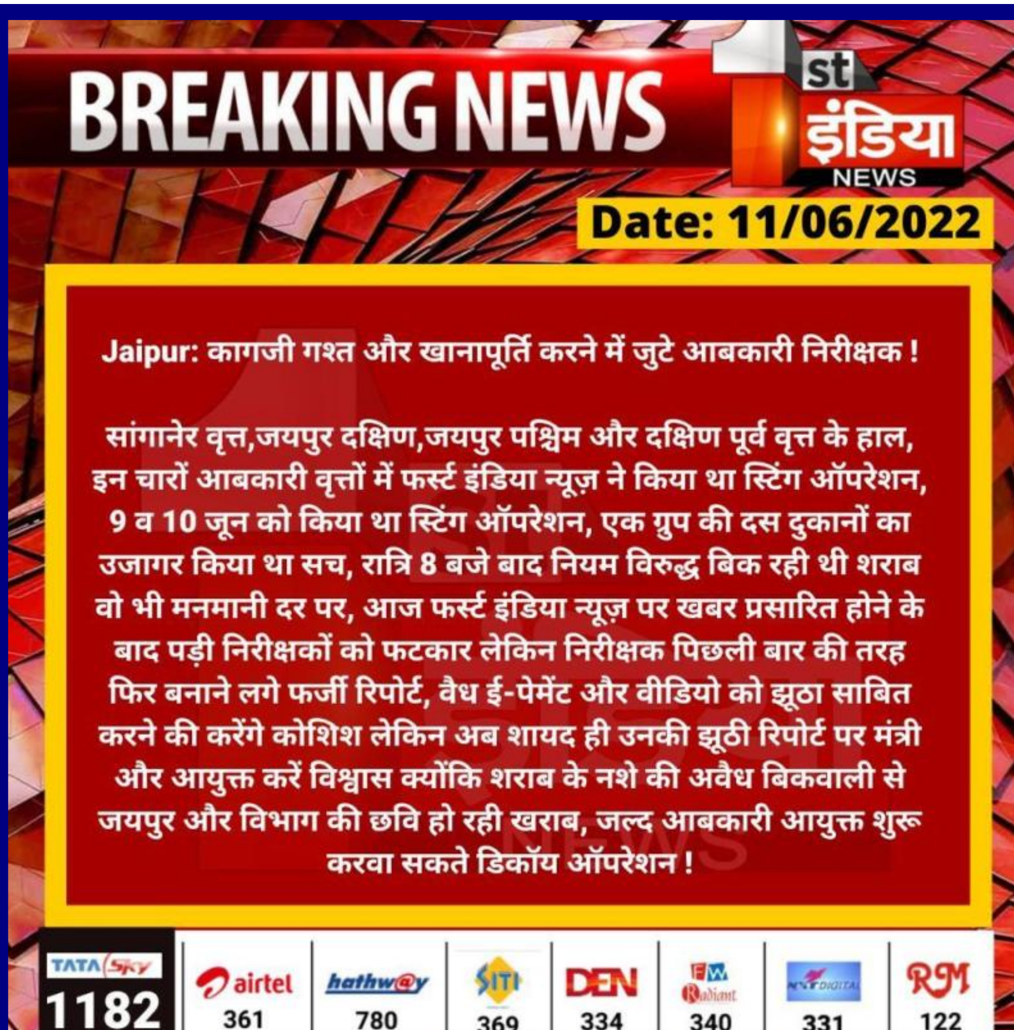

आपको बता दें कि फ़र्स्ट इंडिया न्यूज ने अपने दो स्टिंग ओपरेशनों के जरिये शहर भर की 20 शराब की दुकानों पर स्टिंग ऑपरेशन कर,आबकारी विभाग को रात 8 बजे बाद ओवर रेट पर शराब बेचने के पुख्ता सबूत (मय खरीद के दस्तावेज़ और फोटोज) भी प्रस्तुत किए थे|लेकिन स्टिंग के बावजूद आबकारी अधिकारियों की शह और मिलीभगत के चलते, अगले दिन ही शहर के शराब कारोबारी रात 8 बजे बाद पुनः ओवर रेट पर शराब बेचते दिखे|

आबकारी का फिर से रटा-रटाया जवाब,नहीं बिक रही रात 8 बजे बाद शराब!!!रेड गश्त जारी!!!

फ़र्स्ट इंडिया के स्टिंग के बाद चेतने की बजाय आबकारी विभाग गोल मोल जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है|दूसरे नंबर के स्टिंग पर आबकारी विभाग के चार आबकारी निरीक्षकों द्वारा जवाब दिये गए|इन सभी द्वारा एक ही तरह का जवाब दिया गया कि उनके क्षेत्र मे किसी प्रकार की रात 8 बजे बाद ओवररेट पर शराब बेचने की गतिविधियां नहीं पायी गयी है|यदि इस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाएगी तो त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग दर्ज किए जाएंगे|

आखिर आबकारी विभाग क्यूँ नहीं कर रहा चैनल के पास मौजूद सबूतो की पड़ताल?

सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामलो मे संबन्धित आबकारी निरीक्षकों द्वारा चैनल के रिपोर्टर द्वारा बताए गए तथ्यों यथा पेटीएम स्लिप,समय की तसदीक नहीं की गयी और ना ही बोगस ग्राहक भेज कर स्वयं द्वारा कोई पुष्टि की गयी|केवल ऑफिस मे बैठे बैठे ही अपने बाबू द्वारा टाइप की गयी रिपोर्ट को जवाब बनाकर अपने आला अधिकारियों को संतुष्ट कर दिया गया|और सबसे बड़ी बात यह है कि इन निरीक्षकों के ऊपर बैठे भोले भाले आला अधिकारियों द्वारा भी अपने निरीक्षकों की इन रिपोर्ट को सही मानते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर जवाब प्रेषित कर दिया|

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर उत्तर

क्रमांक : 140 दिनांक : 06/6/2022

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी

जयपुर शहर

विषय :–राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग :–श्रीमान के पत्र दिनांक **03.06.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक निर्देशानुसार राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत संख्या–**062202712762403** दिनांक 03.06.2022 में वर्णित तथ्य रात्रि 8.00 बजे पश्चात मदिरा/बीयर के विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि दौराने नियमित गश्त एवं मदिरा दुकानो के निरीक्षण किसी भी मदिरा दुकान से निर्धारित समय पश्चात मदिरा का विक्रय होते पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया जाता है। वर्ष 2022–23 में आज दिनांक तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं पाया गया एवं वर्ष 2021–22 में रात्रि 8.00 बजे पश्चात मदिरा/बीयर के विक्रय करते पाये जाने पर वृत्तान्तर्गत कुल 08 अभियोग पंजीकृत किये गये है। रिपोर्ट सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय

(हरीश कुमार शर्मा)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर उत्तर

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर सांगानेर

क्रमांकः– 2777

दिनांकः– 07/06/2022

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर।

विषय :– राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत क्रमांक 062202712762403 की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शिकायत के क्रम में निवेदन है कि वृतान्तर्गत सभी मदिरा दुकानो को नियमित चैक किया जा रहा है। वृत्त क्षेत्रान्तर्गत नियमित रेड–गश्त एवं निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये दिनांक 01.04.2022 से आज दिनांक तक कुल पांच अभियोग दर्ज किये गये। भविष्य मे भी वृतान्तर्गत अवस्थित सभी मदिरा दुकानो को नियमित जांच की जाती रहेगी और एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा का बेचान करते पाये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्धारित समय रात्रि 08 बजे पश्चात मदिरा दुकान से मदिरा का बेचान करते पाये जाने पर सम्बन्धित अनुज्ञाधारी के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग दर्ज किया जावेगा। रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर सांगानेर

D/Bandobast 2017-18/Complents/Rajasthan Sampark Portal

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर पूर्व

क्रमांक :- 1541
दिनांक :- 8-6-2022

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर।

विषयः- राजस्थान सम्पर्क शिकायत सं.062202712762403के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्राप्त परिवाद के संदर्भ में निवेदन है कि बॉर्ड सं. 12(H),21(H),22(H),26(H),76(H),की मदिरा दुकान अनुज्ञाधारी तुषार चौधरी आबकारी नियमों की पालना में पूर्ण संतुष्टी एव जाँच के उपरान्त राजस्व हित में अनुशंषा कर विभागीय द्वारा स्वीकृत की गई है। मदिरा दुकान से सुगम यातायात मार्ग से परिवाद में उल्लेखित समस्त धार्मिक स्थल 200 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है। मदिरा दुकान से निर्धारित दूरी पर कोई रजिस्टर्ड मंदिर अवस्थित नहीं है। न ही मदिरा दुकान की मौका जाँच में कोई जनविरोध उजागर हुआ है। मदिरा दुकान नवीन स्वीकृत है अतः समीपस्थ मदिरा दुकानत के संचालकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते अनावश्यक परिवाद पेश किये जा रहे प्रतीत होते है।

अतः परिवाद के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीया

आबकारी निरीक्षक
(जयपुर शहर पूर्व)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर पूर्व

E/EAST2022-23/PARIVAD 2022-23

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर दक्षिण–पूर्व

क्रमांक :- 356

दिनांक :- 07-6-2022

श्रीमान् जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर।

विषयः– राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत के संबंध में वांछित कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान संम्पर्क पर प्राप्त परिवाद क्रमांक 062202712762403 दिनांक 01.06.2022 के क्रम में निवेदन है कि वृत्त क्षेत्र दक्षिण–पूर्व जयपुर शहर की समस्त मदिरा दुकानों का निरन्तर समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है। रात्रि 8 बजे बाद भी मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया गया तो मदिरा दुकानें बन्द पायी गई। अब तक किये गये निरीक्षणों में कम्पोजित मदिरा दुकानों पर अनुज्ञाधारियों के विरूद्व अन्य अनियमितताए पाये जाने के कुल 6 (छः) अभियोग पंजिकृत किये जा चुके है। भविष्य में निरन्तर निरीक्षण जारी रहेगें, किसी प्रकार की अनियमितताए पायें जाने पर अनुज्ञाधारियों के विरूद्व नियामानुसार कार्यवाही की जावेगी। रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीया

(प्रियंका खेडा)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त दक्षिण–पूर्व जयपुर शहर

d:\s.e. year 2021-22\south east 2018-19\rajasthan sampark letter.docx

केस-1

वृत:-सांगानेर

संबन्धित आबकारी निरीक्षक:-

सीमा कांवट

केस-2

वृत:-दक्षिण

संबन्धित आबकारी निरीक्षक:-हरीश शर्मा

केस-3

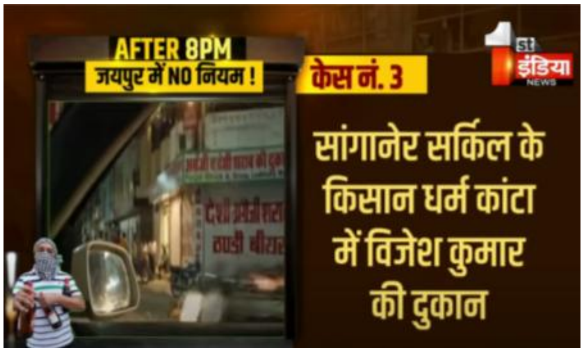

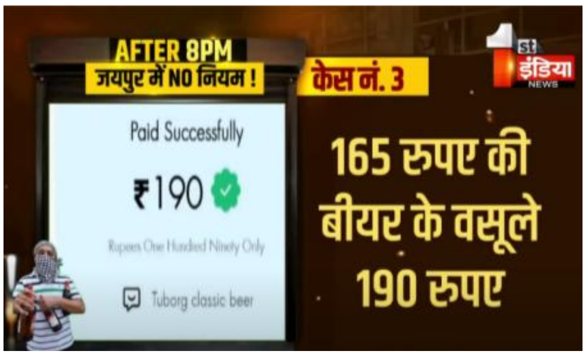

वृत:-सांगानेर

संबन्धित आबकारी निरीक्षक:-सीमा कांवट

केस-4

वृत:-दक्षिण

संबन्धित आबकारी निरीक्षक:-हरीश शर्मा

केस-5

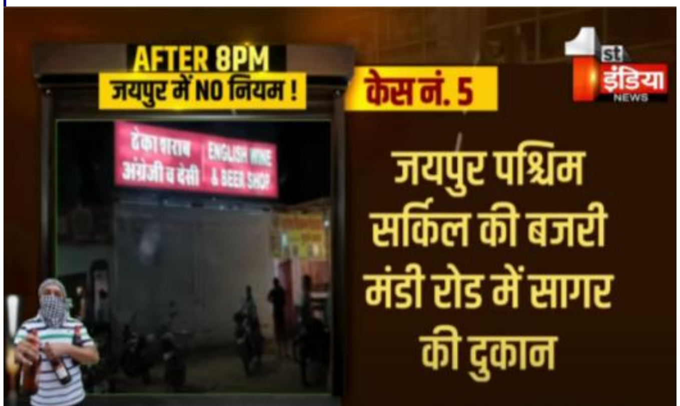

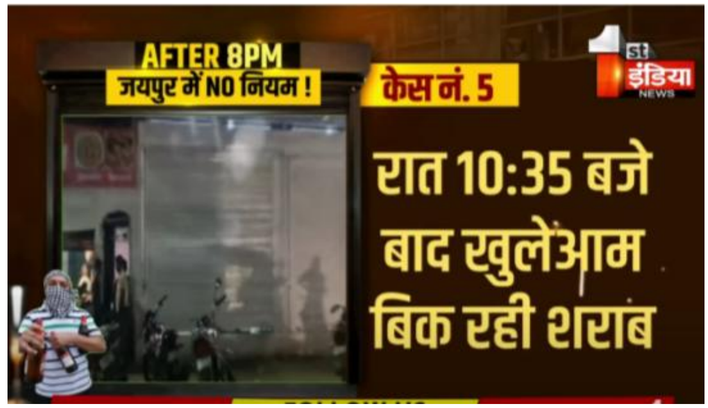

वृत:-पश्चिम

संबन्धित आबकारी निरीक्षक:-अब्दुल जावेद

केस-6

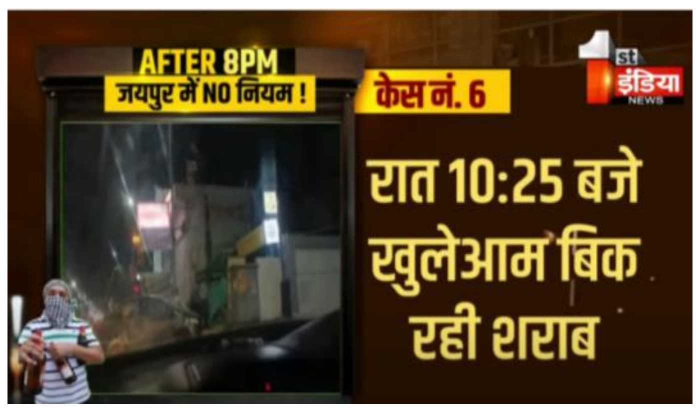

वृत:-पश्चिम

संबन्धित आबकारी निरीक्षक:-अब्दुल जावेद

केस-7

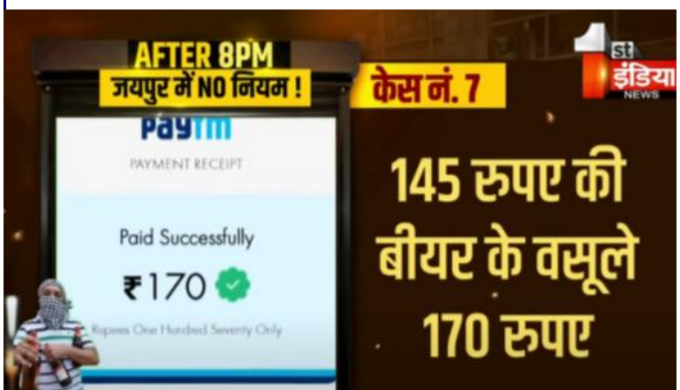

वृत:-पूर्व

संबन्धित आबकारी निरीक्षक:-कर्णिका मेहता

केस-8

वृत:-पूर्व

संबन्धित आबकारी निरीक्षक:-कर्णिका मेहता

केस-9

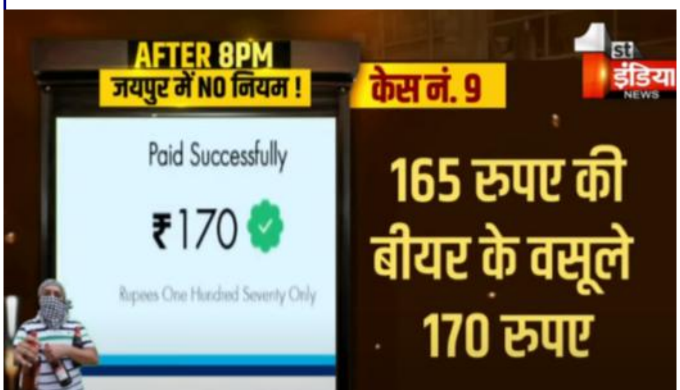

वृत:-पूर्व

संबन्धित आबकारी निरीक्षक:-कर्णिका मेहता

केस-10

वृत:-पूर्व

संबन्धित आबकारी निरीक्षक:-कर्णिका मेहता

केस-11

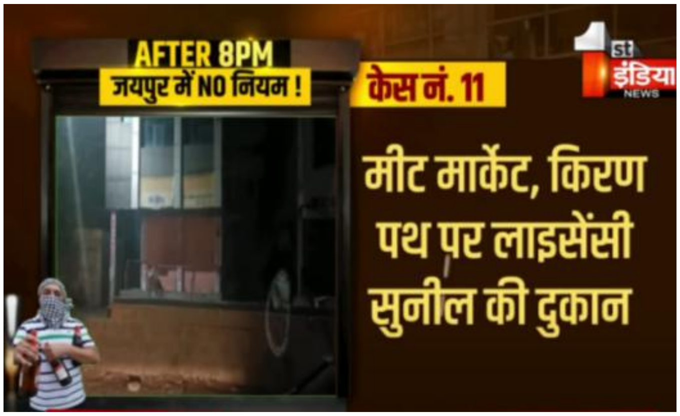

वृत:-सांगानेर

संबन्धित आबकारी निरीक्षक:-सीमा कांवट

क्या मंत्री परसादी लाल मीणा करेंगे इस मामले मे कार्यवाही?

आबकारी नियमो की खुलेआम हो रही अवहेलना!!!

यूं तो राजधानी जयपुर के अंदर आबकारी विभाग द्वारा कुल 404 दुकानें स्वीकृत हैं। इन शराब दुकानों पर कम्पोजिट व्यवस्था के तहत देशी और अंग्रेजी शराब तथा बीयर की बिक्री की जाती है। आबकारी विभाग के नियमों के मुताबिक यह शराब दुकान

1. सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खोली जा सकती हैं।
2. इन दुकानों पर बाकायदा लाइसेंसी का नाम, उपलब्ध शराब की दर, पोस मशीन, सीसीटीवी कैमरा और संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का नाम और उसका मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए।
3. यही नहीं दुकान पर काम करने वाले सभी सेल्समैन का आबकारी विभाग से स्वीकृति नौकरनामा भी होना चाहिए।
4. दुकान पर किसी तरह का लुभावना विज्ञापन नहीं होना चाहिए, दुकान का आकार और उस पर लगे होर्डिंग का साइज भी आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।
5. यह शराब दुकान किसी भी धार्मिक स्थल, स्कूल कॉलेज, अस्पताल, अनुसूचित जाति जनजाति बस्ती और किसी मजदूर बस्ती के 200 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए।

अब सवाल उठता है कि क्या राजधानी जयपुर में इन सभी नियम कायदों को की पालना शराब कारोबारी कर रहे हैं या नहीं ? और क्या आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन नियम कायदों की पालना हो इसको गंभीरता से सुनिश्चित कर रहे हैं या नहीं ?

विडंबना देखिए कि पंजाब से आए एक शराब ग्रुप ने राजधानी में आकर ऐसी शराब संस्कृति पनपाने की मुहिम चला दी है जो न केवल गुलाबी नगर की छवि को दागदार कर रही है वरन यहां शराब कल्चर को भी बढ़ावा दे रहा है। बड़ी बात यह है कि आबकारी निरीक्षकों की जानकारी में होने के बाद भी इन सभी दुकानों पर सेल्समैन बेखौफ रात्रि 8:00 बजे बाद से लेकर देर रात तक शराब बेच रहे हैं और ग्राहकों से मनमानी दर वसूल रहे हैं। अब देखना यह है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ तो खरीद का समय और ऑनलाइन भुगतान की रसीद का वीडियो प्रसारित कर सच से पर्दा उठा चुका है लेकिन क्या आबकारी विभाग की आंखों पर पड़ा मिलीभगत का पर्दा भी उठ पाएगा ? आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा और आबकारी आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित से जयपुर की जनता को अब यही अपेक्षा है कि शराब कारोबार के इस काले खेल से हो रहे राजस्व के तगड़े नुकसान को तो रोके ही साथ ही, बेखौफ हो चुके आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और शराब कारोबारियों पर भी सख्त कार्रवाई कर एक नजीर पेश करें।

जवाब मांगते सवाल?

1. कौन चला रहा है पंजाब से आए इस ग्रुप को?किसका लगा हुआ है पैसा?जयपुर मे कहाँ है इस समूह का ऑफिस?आबकारी विभाग के मामलो को इस समूह का कौन व्यक्ति डील करता है?

2. वर्तमान मे जयपुर मे इस समूह की कितनी दुकाने है और किन किन नामो से ?
3. पिछले साल इस समूह की जयपुर मे कितनी दुकाने थी?क्या उन सभी दुकानों द्वारा पूरे राजस्व की भरपाई की गयी या उन दुकानों पर बकाया शेष है?
4. क्या इस समूह की दुकानों पर काम करने वाले सभी सेल्समेनो/व्यक्तियों के नौकरनामे बने हुए है?यह सभी सेल्समेन राजस्थान के निवासी है या किसी अन्य प्रदेश के?क्या इनका पुख्ता पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया है?
5. इस समूह द्वारा जिन लाईसेंसियों के नाम से दुकाने आवंटित करवाई गयी है,क्या वह सभी राजस्थान के मूल निवासी है या फिर किसी और प्रदेश के?यदि अन्य प्रदेश के है तो क्या विभाग द्वारा इस बात की तसदीक करवायी गयी है?
6. क्या चालू वित्तीय वर्ष मे इस समूह द्वारा संचालित सभी दुकानों द्वारा अपनी गारंटी की भरपाई कर दी गयी है?
7. यदि आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत/नादानी से यह समूह राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाता है तो उसके जिम्मेदार विभाग के कौन कौन अधिकारी होंगे?
8. आखिर क्या वजह है कि फ़र्स्ट इंडिया न्यूज के तीन स्टिंग ओपरेशनों के बावजूद रात 8 बजे बाद ओवररेट पर शराब बेचने वाले ठेकेदारो को आबकारी विभाग बचा रहा है?
9. यदि आबकारी विभाग के इस दावे पर भरोसा करे कि आबकारी विभाग की रेड गश्त जारी है,तो उसके बावजूद कैसे खुलेआम रात 8 बजे बाद ओवररेट पर शराब बेची जा रही है?
10. आबकारी और पुलिस विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शराब विक्रेता को अपनी दुकान पर सीसीटीवी केमरे लगाने अनिवार्य है,जयपुर शहर की 404 दुकानों मे से कितनी दुकानों पर सीसीटीवी केमरे लगे हुए है?आखिर क्यूँ आबकारी और पुलिस विभाग इन सीसीटीवी केमरो की मदद से रात 8 बजे बाद ओवररेट पर शराब बेचने वाले शराब लाईसेंसियों की धरपकड़ नहीं करती?
11. आखिर आबकारी विभाग क्यूँ नहीं कर रहा चैनल के पास मौजूद सबूतो की पड़ताल?

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है|पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है|पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|